प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 14.02.2024

- **थाना अमराहट पुलिस द्वारा थाना अमराहट क्षेत्रान्तर्गत यमुना कैनाल में हुयी निर्मम हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 नफर अभियुक्तों व 01 नफर बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद पत्थर व 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल काले रंग की स्पलैण्डर (बिना नम्बर प्लेट) व मृतक का मूल आधार कार्ड बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना अमराहट पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी श्री मैनुद्दीन पुत्र स्व0 सत्तार खान निवासी ग्राम पाता थाना फफूँद जनपद औरैया हाल पता ग्राम खोजाफूल थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी लिखित तहरीर जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र की निर्मम हत्या करने के सम्बन्ध में थाना अमराहट पर मु0अ0सं0-06/24 धारा 302/201 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना अमराहट पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 14.02.2024 को अमराहट डेरा नहर पुलिया के पास से मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्तों व 01 नफर बाल अपचारी क्रमशः 1. विनय बाबू उर्फ चड्ढा पुत्र स्व0 बीरेन्द्र निवासी ग्राम करियापुर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात 2. मनीष सिंह राजपूत पुत्र गिरजाशंकर राजपूत निवासी ग्राम करियापुर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात व 3. 01 नफर बाल अपचारी निवासी ग्राम करियापुर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात को घटना में प्रयुक्त 01 अदद पत्थर व 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल काले रंग की स्पलैण्डर (बिना नम्बर प्लेट) तथा मृतक के मूल आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम में गिरफ्तारी व बरादगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 34/411 भा0द0वि0 व 41 सी0आर0पी0सी0 की बढोतरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त विनय उर्फ चड्ढा एवं मनीष सिंह राजपूत व बाल अपचारी ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग ग्राम खोजाफूल में दिनांक 09.02.2024 को शाम करीब 08.30 बजे फौजी की परचून की दुकान पर सिगरेट पीने के लिए आये वहीं पर मृतक खडा था उससे कहा मुझे भी सिगरेट पिलाओ ,इतने में मृतक ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है जिस बात पर अभियुक्तगण नशे में होने के कारण मृतक से गाली-गालौच करने लगे तब अभियुक्तगणों ने मृतक से कहा चलो तुम्हें शराब पिलाते हैं। चारों लोग मोटरसाइकिल से यमुना कैनाल नहर पम्प के पास बनी पुलिया के पास मोटरसाइकिल रोककर मृतक उपरोक्त से गाली- गालौज होने लगा इसी बात पर विनय बाबू उर्फ चड्ढा ने पास में पडे एक बडे पत्थर से मृतक के सिर पर जोर से मार दिया जिससे वह जमीन पर गिर पडा तब बारी बारी से तीनों लोगों ने मृतक के चेहरे पर मारकर मृत्यु कर दी और उसके शव को नहर मे फेंक दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. विनय बाबू उर्फ चड्ढा पुत्र स्व0 बीरेन्द्र निवासी ग्राम करियापुर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात
2. मनीष सिंह राजपूत पुत्र गिरजाशंकर राजपूत निवासी ग्राम करियापुर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात
3. 01 नफर बाल अपचारी निवासी ग्राम करियापुर थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-06/24 धारा 302/201/34/411 भादवि0 व 41 सी0आर0पी0सी0 थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद पत्थर
2. घटना में प्रयुक्त 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल काले रंग की स्पलैण्डर (बिना नम्बर प्लेट) चैसिस नं0 MBLHAW175NHH11252
3. मृतक का आधार कार्ड

गिरफ्तार करने वाली थाना अमराहट पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री जीतमल थाना अमराहट
2. उ0नि0 श्री मान सिंह
3. उ0नि0 श्री उमेश कुमार
4. हे0का0 583 दीपक कुमार गोयल
5. हे0का0 462 प्रमोद कुमार
6. का0 945 अभिषेक कुमार
7. का0 910 अर्जुन कुमार
8. म0का0 1264 अर्चना मौर्या